न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री निलश कुमार कलाल आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–07 / 2024

तारीख दायर–23.05.2024

तारीख–निर्णय–28.02.2025

1. श्री गिरधारीलाल पिता खेमा कुम्हार निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

.......प्रार्थी

बनाम

2. श्रीमती कविता पत्नी बद्रीलाल कलाल निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........अप्रार्थी

उपस्थित–प्रार्थी की ओर से– अधिवक्ता श्री पुष्कर लाल मीणा

अप्रार्थी की ओर से–श्री राजपेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

–: :निर्णय : :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी स्वत्व, आधिपत्य की भूमि मौजा बलीचा, पटवार हल्का बलीचा भू.अ.निरीक्षक वृत्त कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 36 व पुराना 71 में वर्णित आराजी संख्या 1262 / 684 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1263 / 684 रकबा 0. 0216 है. भूमि स्थित है। मुझ प्रार्थी द्वारा दान पत्र के माध्यम से आराजी संख्या 684 / 2 में चार बिस्वा जमीन थी जिसमें से मुझ प्रार्थी ने विपक्षी को 02 बिस्वा जमीन रजिस्टर्ड पंजिकृत दस्तावेज (दान पत्र) से दान की थी। नामान्तरण संख्या 922 को खोलते वक्त भी मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी दोनों के 02–02 बिस्वा जमीन रेकॉर्ड में दर्ज थी। लेकिन नामान्तरकरण के दौरान सहवन से मुझ प्रार्थी की दो बिस्वा जमीन भी विपक्षी के नाम पर कर दी और मुझ प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटा दिया गया था जबकी मुझ प्रार्थी द्वारा 684 / 2 में से केवल 02 बिस्वा जमीन ही विपक्षी के नाम पर दान की थी जिससे केवल दो बिस्वा जमीन को ही विपक्षी के नाम पर दर्ज किया जाना था परन्तु पटवारी द्वारा शेष दो बिस्वा जमीन को भी विपक्षी के नाम पर दर्ज कर दी गई जो मुझ प्रार्थी के नाम पर दर्ज रहनी चाहिये थी। उक्त त्रुटी एक मानवीय भूल व लिपिकीय त्रुटी है जिससे दुरस्त कर मुझ प्रार्थी के नाम को राजस्व रेकॉर्ड में पुनः दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है। वाद ग्रस्त आराजी मौजा बलीचा पटवार

Scanned with CamScanner

बलीचा, भू.अ.निरीक्षक वृत्त कालीभीत तहसील लसाडिया में स्थित होकर आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निवेदन किया गया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा बलीचा पटवार बलीचा, भू.अ.निरीक्षक वृत्त कालीभीत तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 36 व पुराना 71 में वर्णित आराजी संख्या 1262/684 रकबा 0.0216 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1263/684 रकबा 0.0216 हैक्टेयर भूमि की जमाबन्दी में शुद्धिकरण कराने ने का आदेश फरमावे ।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बलीचा पटवार बलीचा, भू.अ.निरीक्षक वृत्त कालीभीत तहसील लसाडिया तहसील लसाडिया खातेदार श्री गिरधारीलाल पिता खेमा कुम्हार द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम बलीचा की आराजी नम्बर 684/2 रकवा 0.04 बिस्वा भूमि में से 0.02 बिघा भूमि जरिये पंजिकृत दान पत्र क्रमांक 1085/2013 दिनांक 08.11.2013 को दान की गई। ग्राम बलीचा के नामान्तरकरण संख्या 922 स्वीकृत दिनांक 05.09.2014 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामान्तरकरण में 0.02 बिघा भूमि श्रीमती कविता पत्नी बद्रीलाल चौधरी के नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ। जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 अमलदरामद के समय सहवन से सम्पूर्ण आराजी नम्बर 684/2 रकबा 0.0432 हैक्टेयर भूमि खातेदार श्रीमती कविता पत्नी बद्रीलाल जाति कलाल के नाम राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद हो गई। जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 की आराजी नम्बर 684/2 रकबा 0.0432 हैक्टेयर भूमि में से 0.0216 हैक्टेयर भूमि खातेदार द्वारा रूपान्तरकरण करवाया गया। उक्त रूपान्तरकरण के नामान्तरकरण संख्या 1125 स्वीकृत दिनांक 28.12.2022 से आराजी नम्बर 684/2 रकबा 0.0432 हैक्टेयर भूमि के 02 नवीन आराजी नम्बर बने आराजी नम्बर 1262/684 रकबा 0.0216 हैक्टेयर किस्म आवासीय ईकाई एवं आराजी नम्बर 1263/684 रकबा 0.0216 हैक्टेयर किस्म खादी प्र.ए पर मूल खातेदार श्री गिरधारीलाल पिता खेमा काबिज है। राजस्व ग्राम बलीचा की आराजी नम्बर 1263/684 रकबा 0.0216 हैक्टेयर भूमि पुनः मूल खातेदार श्री गिरधारीलाल पिता खेमा जाति कुम्हार के नाम दर्ज किया जाना उचित है।

तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहें है, जो अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

Scanned with CamScanner

अतः तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बलीचा की आराजी नम्बर 1263/684 रकबा 0.0216 हैक्टेयर भूमि पुनः मूल खातेदार श्री गिरधारीलाल पिता खेमा जाति कुम्हार के नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 .को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/02/25
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया सलुम्बर

Scanned with CamScanner